

## राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर  
क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20/पार्ट-1/से0नि0/2019/ दिनांक:-

### आदेश

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य दर्शिका द्वारा 60 वर्ष की अधिवर्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. स.	कर्मचारी का नाम	संबंधित प्रशासनिक अधिकारी	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	पुष्पा कुमारी जैन, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जोधपुर	11.08.59	19.12.85	31.08.19
2	जया शर्मा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जयपुर-द्वितीय	11.12.59	21.11.81	31.12.19
3	ट्रीजा डेविड, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	जयपुर-द्वितीय	16.02.60	24.09.84	29.02.20
4	कुन्जमोल के, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	अजमेर	01.05.60	19.08.89	30.04.2020
5	डेसी टी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	बांसवाडा	17.02.60	28.12.87	29.02.2020
6	लक्ष्मी देवी रोट, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	डूंगरपुर	15.02.60	22.01.85	29.02.2020
7	सारम्मा सी.वी., महिला स्वास्थ्य दर्शिका	अलवर	05.03.60	25.01.84	31.03.2020
8	एलीस जोन जे, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	डूंगरपुर	10.03.60	02.07.83	31.03.2020
9	पार्वती कुमारी कटारा, महिला स्वास्थ्य दर्शिका	डूंगरपुर	15.08.60	15.01.83	31.08.2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्न कार्मिका के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/सी-20/पार्ट-1/से0नि0/2019/1011

दिनांक:- 26/7/19

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है एवं संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध यदि ऑडिट पैरा या अन्य कोई वसूली बकाया हो तो उसकी वसूली तत्काल कर निदेशालय को अवगत कराये:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, /जोधपुर/जयपुर/अजमेर/उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर/जयपुर-द्वितीय/अजमेर/डूंगरपुर/अलवर।
4. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा।
5. खण्ड मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलाडा(जोधपुर)/बस्सी(जयपुर)/किशनगढ(अजमेर)/सीमलवाडा(डूंगरपुर)/लक्ष्मणगढ(अलवर)
6. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बांसवाडा।

9

7. वरिष्ठ, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोरुन्दा।
8. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्रा0स्वा0केन्द्र, करकेडी।
9. डीपीसी अनुभाग (नर्सिंग) मुख्यालय।
10. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- ✓ 11. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
12. आदेश/निजी पत्रावली।

7

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर